



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 44 राँची, शुक्रवार,

4 फरवरी, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

1 फरवरी, 2022

संचिका सं०-03/अ०क्षे०स्था० (स्टेनो)-40/2004-232-रा०, भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधीन आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा-शर्त के निर्धारण हेतु आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 में संशोधन करते हुए “आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2021” गठित करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

1. यह नियमावली “आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली 2021” कही जायेगी ।
2. इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
3. यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) अनुसूची-1 के कंडिका-3 के प्रावधान को विलोपित कर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
अनुसूची-1 के कंडिका-3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना आवश्यक होगा ।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियट/ 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परंतु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडियट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

3- आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) अनुसूची-1 के कंडिका-1, 5 एवं 6 के प्रावधान को विलोपित कर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
अनुसूची-1 के कंडिका-1, 5 एवं 6 चयन प्रक्रिया- कंडिका-1 आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अध्याचना पर अवर सेवा चयन पर्षद् द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे । कंडिका-5 अन्य मामले के निर्णय में अवर सेवा चयन पर्षद् की सक्षमता-आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन के संबंध में उपर्युक्त शर्तों के अलावे अन्य बातों पर निर्णय करने में चयन पर्षद् की सक्षमता होगी परंतु चयन पर्षद् में कोई दुविधा या शंका होने की स्थिति में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कंडिका-6 नियुक्ति हेतु पर्षद् की अनुशंसा पर्षद् आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अध्याचना के अनुसार योग्यता क्रम में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगी। इस सूची से योग्यता क्रम में आशुलिपिक के पद पर नियुक्तियां संबंधित विभाग के विभागीय प्रधान द्वारा की जायेगी। विभागीय प्रधान आशुलिपिकों का पदस्थापन अपने अधीनस्थ कार्यालयों में करेंगे ।	चयन प्रक्रिया-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-3848, दिनांक-10.08.2021 द्वारा गठित एवं समय-समय पर यथा संशोधित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2021" के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अध्याचना के आलोक में विभाग को अनुशंसा के साथ सूची उपलब्ध करायेगा ।

4- आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
अपर मुख्य सचिव ।
